

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ 3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/2754

जयपुर, दिनांक 19/6/25

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : Clarification regarding instructions issued vide letter no. 4/2024/SDR/Vol. II dated 30.05.2025 regarding custody, retention, inspection, supply and disposal of election records.

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 4/2024/SDR/Vol. II दिनांक 18.06.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 04.03.2025 एवं दिनांक 30.05.2025 जो आपको क्रमशः विभागीय पत्र क्रमांक 1261 दिनांक 17.03.2025 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 2450 दिनांक 30.05.2025 द्वारा भिजवाये गये थे, के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आयोग का निर्देश क्रमांक 4/2024/SDR/Vol. II दिनांक 30.05.2025 को 30.05.2025 के पश्चात् अधिसूचित होने वाले चुनावों में लागू किया जाना है।

उपरोक्त निर्देश आपके जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों के ध्यान में लाये जाकर समस्त आगामी आम चुनावों/उपचुनावों में अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

4✓

(सुरेश चन्द्र)

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/2754

जयपुर, दिनांक 19/6/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा प्रथम - ए, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, भण्डार शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, रोल्स शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, ईवीएम/वीवीपैट शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, आर.टी.आई. शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, प्रशिक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. उपविधि परामर्शी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रिटर्निंग अधिकारी, 193-अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आगामी विधानसभा उप निर्वाचन, 2025 में पालनार्थ।

4✓

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

By Speed Post/ Email

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI – 110 001

No. 4/2024/SDR/Vol. II

Dated: 18th June, 2025

To,
The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories.

Subject: Clarification regarding instructions issued vide letter no. 4/2024/SDR/Vol. II dated 30.05.2025 regarding custody, retention, inspection and supply of election records..

Madam/Sir,

It has come to light that some queries have been raised regarding the applicability of the instructions issued vide letter no. 4/2024/SDR/Vol. II dated 30.05.2025 in view of the earlier instructions issued vide letter no. 4/2024/SDR/Vol. II dated 04.03.2025 on the above cited subject.

In this regard, it is hereby clarified that the instructions issued vide letter no. 4/2024/SDR/Vol. II dated 30.05.2025, will be applicable prospectively only to the elections notified after 30th May, 2025.

Yours faithfully,


(AMIT KUMAR)
SECRETARY

OSD
No

Anta by poll
mandate.

Circulate it
to all DEOA.

cf01979
18/6/25